न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी सुनील आर्य आर. ए. एस.)

मु0न0–05 / 2017

1. अजबसिंह
2. बृजेन्द्र
3. हजारी

} पुत्रान चौबसिंह

4. प्रेम
5. सफेदी
6. गुड्डी

} पुत्रीयां चौबसिंह

} जाति गूजरान निवासी जैसोरा तहसील बयाना जिला– भरतपुर (राज0)

7. गुलकन्दी पत्नि चोबसिंह
8. ओमवती पत्नि चरन

.... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. सरपंच ग्राम पंचायत जैसोरा
2. रामजीलाल
3. गजराजसिंह
4. राजचरन

} पुत्रान चौबसिंह

5. बहादुर
6. बल्ली
7. भूरा
8. समन्दर
9. पप्पन
10. शिवसिंह

} पुत्रान मुखत्यार

} जाति गूजरान निवासी जैसोरा तहसील बयाना जिला भरतपुर (राज0)

11. हरप्यारी पत्नि मुखत्यार

.... रेस्पोडेन्टान

अपील वनाराजगी आदेश तारीखी 6.3.1999 सरपंच ग्राम पंचायत जैसोरा दाखिल खारिज संख्या 49 वाके ग्राम जैसोरा तहसील बयाना एवं आदेश तारीखी 25.05.2004 सरपंचा ग्राम पंचायत जैसोरा दाखिल खारिज संख्या 147 वाके ग्राम जैसोरा तहसील बयाना।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:04:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (

निर्णय

दिनांक 03/02/2021

उपस्थितिः–

1. श्री नारायण सिंह एडवोकेट व. अपीलान्ट

अपीलान्ट द्वारा यह अपील ग्राम पंचायत जैसोरा द्वारा दाखिल खारिज संख्या 49 दिनांक 06.03.1999 एवं दाखिल खारिज संख्या 147 दिनांक 25.05.2004 को अवैध रूप से चौबसिंह व मौहरसिंह पिसरान पदम के वारिसान बनाये जाकर मंजूर कर दिया। जिसमें आराजी खसरा नम्बरान 650 रकवा 0.09, 651 रकवा 0.07, 655 रकवा 0.08, 670 रकवा 0.08, 681 रकवा 0.06 किता 5 कुल रकवा 0.38 हैक्ट0 जिनके साविक खसरा नम्बरान 337 रकवा 10 विस्वा, 341 रकवा 1 बीघा, 343 रकवा 11 विस्वा, 346 रकवा 7 विस्वा किता 4 कुल रकवा 2 बीघा 7 विस्वा वाके ग्राम जैसोरा तहसील बयाना में स्थित है। जो पूर्व में अपीलान्ट के पिता, पति , ससुर एवं चाचा मौहरसिंह के नाम खातेदारी इन्द्राज चला आ रहा था। जबकि अपीलान्ट का पिता, ससुर, व पति चौबसिंह व मौहरसिंह का देहान्त हो चुका है एवं मौहरसिंह के कोई संतान नही है। इसलिए मौहरसिंह के स्थान पर अपीलान्ट ही उसके वारिसान है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अन्य चौबसिंह व मौहरसिंह के वारिसान के नाम खारिज दर्ज कराया जाकर मंजूर कर दिया जो गलत व अवैध है। जिसके निरस्त कराये जाने के निम्न आधार हैः–

1. ग्राम पंचायत जैसोरा द्वारा अवैध रूप से चौबसिंह व मोहरसिंह के वारिसान बनाये गये है। जिनका उल्लेख दाखिल खारिज की पुश्त पर नही किया गया है और पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी औचित्य कारण के दाखिल खारिज दर्ज कर मंजूर कर दिया है। जो अपने आप में त्रुटीपूर्ण है।

स्वीकार किये जाने के निम्न आधार हैः–

2. सुयोग्य ग्राम पंचायत द्वारा दाखिल खारिज संख्या 49 एवं 147 ग्राम जैसोरा द्वारा मंजूरी आदेश 06.03.1999 व 25.05.2004 बिल्कुल निराधार है जो क़ाबिल निरस्तनीय है।
3. सुयोग्य ग्राम पंचायत जैसोरा द्वारा जमावंदी में पूर्व खातेदार के नाम इन्द्राजित अधिकारों पर ध्यान नहीं दिये जाने में भारी गलती की है।
4. सुयोग्य ग्राम पंचायत द्वारा सजरा मृतक चौबसिंह व मौहरसिंह को नजरअन्दाज करते हुए आदेश पारित करने में खामी की है जिसका सजरा निम्न प्रकार हैः–

पदम

चौबसिंह ⇩ — मौहरसिंह बिना औरत फोत

चौबसिंह ⇩

गुलकन्दी पत्नि | विजेन्द्र पुत्र | अजय पुत्र | हजारी पुत्र | [illegible] | [illegible] पुत्री | गुड्डी पुत्री | चरन फौत ⇩ ओमवती

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:04:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

5. सुयोग्य ग्राम पंचायत द्वारा पटवांरी हल्का के द्वारा दाखिल खारिज दर्ज अन्य ग्राम जैसोरा के मृतक चौबसिंह व मौहरसिंह के वारिसान के नाम पुश्त पर चस्पा करते हुए अपना आदेश पारित करने में भारी गलती की है।
6. सुयोग्य ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों के वस्तुस्थिति पर गौर करने में खामी की है।
7. सुयोग्य ग्राम पंचायत द्वारा दाखिल खारिज दर्ज व मंजूर करते समय अपीलान्ट को कोई नोटिस तामील नही कराये में गलती की है।
8. सुयोग्य ग्राम पंचायत द्वारा कब्जे कावत जानकारी नही करने में अनदेखी की है।

दाखिल खारिज की मंजूरी की गलती का ज्ञान रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 27.02.2017 को व मुकाम जैसोरा धमकी देने पर हुआ। फरीकेन मुकदमा व विवादित आदेश दाखिल खारिज ग्राम जैसोरा तहसील बयाना का होने के कारण अपील सुनवाई के अधिकार न्यायालय श्री मान को प्राप्त है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाते हुए पुनः निस्तारण हेतु तहसीलदार बयाना को रिमाण्ड किये जाने हेतु आज्ञा पारित की जावें।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया। आदेशिका दिनांक 09.09.2019 से रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 4 की अनुपस्थिति एवं आदेशिका दिनांक 30.09.2019 से रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 11 की अनुपस्थिति दर्ज की गई।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट को एक पक्षीय सुना। पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख नामा0 49 निर्णय दिनांक 06.03.1999 की प्रमाणित प्रति, नामा0 147 निर्णय दिनांक 25.05.2004 अपील प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का अवलोकन किया।

पत्रावली के अध्ययन पर पाया कि अपीलान्ट द्वारा दो नामान्तकरण नामा0 संख्या 49 निर्णय दिनांक 06.03.1999 एवं नामा0 संख्या 147 निर्णय दिनांक 25.05.2004 की दोनों अपीलें एक ही अपील प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। जबकि अपीलान्ट द्वारा दोनों नामान्तकरण की अपीलें एक ही अपील प्रार्थना पत्र के साथ पेश नही कर पृथक–पृथक अपीलें पेश करनी चाहिए थी। न्यायालय नामान्तकरण संख्या 49 निर्णय दिनांक 06.03.1999 वाके ग्राम जैसोरा ग्राम पंचायत जैसोरा की अपील का निर्णय एक प्रार्थना पत्र में करना न्यायोचित समझता है।

नामान्तकरण संख्या 147 निर्णय दिनांक 25.05.2004 की अपील पृथक से अपीलान्ट पेश करें।

नामान्तकरण 49 निर्णय दिनांक 06.03.1999 ग्राम जैसोरा ग्राम पंचायत जैसोरा का अवलोकन किया। अपील अपीलान्ट नामान्तकरण संख्या 49 निर्णय दिनांक 06.03.1999 ग्राम जैसोरा ग्राम पंचायत जैसोरा की हद तक स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:04:52 IST
Reason: Self Attested

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट नामान्तकरण संख्या 49 निर्णय दिनांक 06.03.1999 ग्राम जैसोरा ग्राम पंचायत जैसोरा की हद तक स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण 49 निर्णय दिनांक 06.03.1999

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

खारिज किया जाता है। तहसीलदार बयाना को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह मृतक चौबसिंह के कानूनी वारिसान की जॉच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बयाना को भेजी जावे। अपीलान्ट नामान्तकरण संख्या 147 निर्णय दिनांक 25.05.2004 बाबत् अपील पृथक से दायर करने हेतु स्वतंत्र है।

पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो। वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सुनील आर्य
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस)
बयाना (भरतपुर)
उपखण्ड अधिकरी बयाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:04:52 IST
Reason: SelfAttested